रजिस्ट्रेशन सं. डी. एल.—33004/95 REGN. NO. D. L.—33004/96

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 131] नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 28, 1996/फाल्गुन 9, 1917
No. 131] NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 28, 1996/PHALGUNA 9, 1917

श्रम मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 फरवरी, 1996

का०आ० 159(अ):—उत्प्रवास अधिनियम, 1983 (1983 का 31) की धारा 43 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, उत्प्रवास नियमावली, 1983 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों को उत्प्रवास (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 1996 कहा जायेगा।

(2) ये सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तिथि से प्रभाव में आयेंगे।

2. उत्प्रवास नियमावली, 1983 में, नियम 15 के उप-नियम (1) के खंड (छ) के लिए निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :—

"(छ) उत्प्रवास अनुमति शुल्क के रूप में उत्प्रवास महासंरक्षी के नाम से सौ रुपये का डिमान्ड ड्राफ्ट"।

[सं० जैड-11025/46/95-उत्प्रवास]

डी०के० लेहन, श्रम एवं रोजगार सलाहकार/उत्प्रवास महासंरक्षी

पाद टिप्पणी :—मुख्य नियम सा०आ० 941(अ) दिनांक 30 दिसम्बर, 1983 द्वारा प्रकाशित किये गये थे और तदुपरान्त :

(1) का०आ० 665(अ), दिनांक 10 सितम्बर, 1986

(2) सा०का०नि० 111(अ), दिनांक 24 फरवरी, 1987

(3) सा०का०नि० 375(अ), दिनांक 23 मार्च, 1989

(4) का०आ० 111(अ) दिनांक 8 फरवरी, 1996 द्वारा संशोधित किये गये थे।

MINISTRY OF LABOUR

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th February, 1996

S.O. 159(E) :—In exercise of the powers conferred by section 43 of the Emigration Act, 1983 (31 of 1983), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Emigration Rules, 1983, namely:-

1. (1) These rules may be called the Emigration (2nd Amendment) Rules, 1996.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Emigration Rules, 1983, for clause (g) of sub-rule (1) of rule 15, the follwoing clause shall be substituted, namely:-

"(g) a demand draft of rupees one hundred, drawn in favour of the Protector General of Emigrats as fee for emigration cleasance."

[No. Z-11025/46/95—Emig.]

D.K. TREHAN, Labour and Employment Advisor/Propector Genral of Emigrants

Foot Note:- The Principal rules were published vide S.O. 941 (E), dated 30th December, 1983 and were subsequently amended by :

(1) S.O. 665(E), dated 10th September, 1986,

(2) G.S.R. 111, (E) dated 24th February, 1987,

(3) G.S.R. 375 (E), dated 23rd March, 1989,

(4) S.O. 111 (E), dated 8th February, 1996.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Maya Puri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1996